

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक :- 1908 / 14-1 (FP/UP/ Road/121197/2021) मुजफ्फरनगर दिनांक, 07.12.2022
सेवा में,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर।

विषय:- चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायीं पटरी कि०मी० चैनल 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/ Road/121197/2021) के संबंध में।

सन्दर्भ:- जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-8वी०/यू०पी०/०६/२२१/२०२१/एफ०सी०/७३९ दिनांक-०६.१२.२०२२ ।

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दायीं पटरी कि०मी० चैनल 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-०६.१२.२०२२ द्वारा निम्नानुसार कतिपय अभिलेख/सूचनाओं की अपेक्षा की गयी है-

- Revised Kml file, Geo-referenced map and SOI toposheet of proposed CA Inad need to be uploaded on PARIVESH portal.
- DFO needs to submit the details with respect to-
 - Previous plantation in Pawa and Shahpur sites viz plantation was carried out under which scheme.
 - Site inspection report of the committee which declared it as a failure plantation.
 - The area is included under which working circle in the working plan.

उपरोक्तानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-०६.१२.२०२२ के क्रम में सूचना / आवश्यक अभिलेख ०७ प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विषयक प्रस्ताव में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार ।

भुवदीय
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

पत्रांक / 14-1 (FP/UP/ Road/121197/2021) दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश मेरठ ।
- वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त मेरठ एवं सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।
- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद ।
- अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ ।
- अधिशारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1, मुजफ्फरनगर ।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एम्बेन्सुत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow



Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: mcz.lko-mefn@gov.in, goimocholkol@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/739

दिनांक: 06.12.2022.

सेवा में,

अति मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषय: चौधरी घरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनल की दांयी पटरी किमी० चैनल 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे० संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे० संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4184 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० का पत्रांक 1447/11-सी-FP/UP/Road/121197/2021 दिनांक 20-10-2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रसंगत प्रकरण को दिनांक 24.11.2022 को आहत क्षेत्रीय सषक्त समिति (REC) के समक्ष विचारार्थ REC Agenda Item No. 73.4 (U.P) प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्रीय सषक्त समिति (REC) द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर 15 दिनों के अन्दर सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की है।

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी/सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

- Revised .kml file, Geo-referenced map and SOI toposheet of proposed CA land need to be uploaded on PARIVESH portal.
- DFO needs to submit the details with respect to-
 - Previous plantation in Pawa and Shahpur sites viz plantation was carried out under which scheme.
 - Site inspection report of the committee which declared it as a failure plantation.
 - The area is included under which working circle in the working plan.

भवदीया,

(डा० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)